रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092023-248814
CG-DL-E-18092023-248814

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 535] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 18, 2023/भाद्र 27, 1945
No. 535] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 18, 2023/BHADRA 27, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर 2023

सा.का.नि. 677(अ).—प्रयुक्त तेल के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व से अंतर्विष्ट प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 2 मई, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 338(अ) के अधीन प्रकाशित की थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गईं थीं, से साठ दिनों की समाप्ति से पूर्व आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे।

और उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां तारीख 02 मई, 2023 को जनता को उपलब्ध करा दी गईं थीं;

और उक्त अवधि के भीतर उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यकत: विचार कर लिया गया है;

अत: अब केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसंकटमय

और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्तनाम परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) दूसरा संशोधन नियम, 2023 हैं।

(2) वे 1 अप्रैल, 2024 से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में संदर्भित), अध्याय VI के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

'अध्याय VII

प्रयुक्त तेल के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व

25. परिभाषाएँ. – इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, –

(क) **'बेस ऑयल'** से परिष्कृत स्नेहन (लुब्रिकेशन) तेल के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला तेल अभिप्रेत है;

(ख) **'थोक उत्पादक'** में ऑटोमोबाइल उद्योग या रेलवे या रक्षा प्रतिष्ठानों या परिवहन कंपनियों या औद्योगिक इकाइयों या बिजली पारेषण कंपनियों या होटलों एवं रेस्टोरेंटों आदि जैसी कोई भी इकाई अभिप्रेत है जो प्रति वर्ष 100 मीट्रिक टन से अधिक प्रयुक्त तेल का उत्पादन कर रही है;

(ग) कारबार से बेस ऑयल या लुब्रिकेशन ऑयल के उत्पादन या निर्माण या बिक्री, बेस ऑयल के आयात, प्रयुक्त तेल के पुनः चक्रीकरण की कोई क्रियाकलाप अभिप्रेत है;

(घ) **'संग्रह स्थल'** से उन क्षेत्रों और वह केंद्र अभिप्रेत है जहां इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया या दिशानिर्देशों के अनुसार, अधिकृत संग्रह अभिकर्ता प्रयुक्त तेल का संग्रह करेगा;

(ड.) **'संग्रह अभिकर्ता'** से किसी भी व्यक्ति या संस्था अभिप्रेत है जो प्रयुक्त तेल का संग्रह करता है और पुनर्चक्रक को इसकी आपूर्ति करता है;

(च) **'ऊर्जा-पुनःप्राप्ति'-** से ऐसे प्रयुक्त तेल के ईधन के रूप में उपयोग किए जाने जाने वाली प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसका कि इन नियमों के अनुसार पुनश्चक्रण नहीं किया जा सकता है।

(छ) **'प्रयुक्त तेल का पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रबंधन'** से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ऐसे सभी आवश्यक कदम उठाना अभिप्रेत है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रयुक्त तेल का प्रबंधन इस तरह से किया जाता है कि स्वास्थ्य और पर्यावरण को ऐसे किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचाया जा सके जो प्रयुक्त तेल के संग्रह, परिवहन और पुनः चक्रीकरण के दौरान हो सकते हैं;

(ज) **'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व'** से बेस ऑयल या लुब्रिकेशन ऑयल के उत्पादक या प्रयुक्त तेल के आयातक का उत्तरदायित्व अभिप्रेत है जो कि केवल रजिस्ट्रीकृत पुनश्चक्रक के माध्यम से पुनश्चक्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होती है जिससे कि प्रयुक्त तेल का पर्यावरण की दृष्टि से कुशल प्रबंधन सुनिश्चित हो सके;

(झ) **'मार्गदर्शक सिद्धांत**' से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार और जारी किया गया किया गया एक दस्तावेज अभिप्रेत है जिसमें प्रयुक्त तेल के हथालन, संग्रह, परिवहन, भंडारण और पुनः चक्रीकरण सहित प्रयुक्त तेल के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लिए, न्यूनतम अपेक्षाओं का विवरण दिया गया है;

IndiaCode

(ञ) '**पोर्टल**' से इस अध्याय के अनुपालन के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन प्रणाली अभिप्रेत है;

(ट) '**उत्पादक**' से प्रयुक्त की गई बिक्री तकनीक जैसे कि डीलर, रिटेलर, ई-रिटेलर आदि के निरपेक्ष किसी व्यक्ति या इकाई अभिप्रेत है जो-

(i) अपने स्वयं के ब्रांड के अधीन घरेलू स्तर पर बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल का निर्माण और बिक्री का प्रस्ताव करता है; या

(ii) अन्य निर्माताओं या आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निर्मित बेस ऑयल का उपयोग करते हुए, अपने स्वयं के ब्रांड के अधीन घरेलू स्तर पर लुब्रिकेशन तेल बेचने का प्रस्ताव करता है; या

(iii) आयातित बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल घरेलू स्तर पर बेचने का प्रस्ताव करता है;

(ठ) '**पुन: चक्रण'** से इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) या दिशानिर्देशों में दिए अनुसार स्थापित केन्द्रों के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल रीति से बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल का उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त तेल के पुनर्शोधन की कोई प्रक्रिया या प्रयुक्त तेल से ऊर्जा पुनर्प्राप्ति की कोई प्रक्रिया अभिप्रेत है।

(ड) **'पुनः शोधन** से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) या दिशानिर्देशों में दिए अनुसार प्रयुक्त तेल से अवांछित अशुद्धियों को हटाने और अंतिम उत्पाद के रूप में बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल बनाने की किसी प्रक्रिया अभिप्रेत है।

(ढ) **'पुनः चक्रणकर्ता'** से प्रयुक्त तेल के पुनः चक्रीकरण की प्रक्रिया में लगे किसी व्यक्ति या संस्था अभिप्रेत है;

(ण) '**पुन: चक्रण लक्ष्य'** से नियम 27 के उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार पुनर्चक्रित किए जाने वाले प्रयुक्त तेल की मात्रा अभिप्रेत है;

(त) **'मानक प्रचालन प्रक्रिया'** से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उपकरण और प्रक्रियाओं की न्यूनतम आवश्यकता को विस्तार से बताने वाले निर्दिष्ट दस्तावेज़ अभिप्रेत है;

(थ) **'प्रयुक्त तेल'** का वही अर्थ होगा जो इसके लिए उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (36) में दिया गया हो; और

(द) **'प्रयुक्त तेल के आयातक'** से किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था अभिप्रेत है जो प्रयुक्त तेल का आयात करता है।

26. रजिस्ट्रीकरण. - (1) निम्नलिखित इकाइयां इस पोर्टल पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यहाँ अपना रजिस्ट्रीकरण करवा सकती हैं, यथा;-

(क) उत्पादक
(ख) संग्रह अभिकर्ता
(ग) 'पुनः चक्रणकर्ता'
(घ) प्रयुक्त तेल आयातक

(2) यदि कोई इकाई उप-नियम (1) के अधीन एक से अधिक श्रेणियों में आती है, तो उसे उक्त श्रेणियों के लिए अपना रजिस्ट्रीकरण अलग-अलग कराना होगा।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई भी संस्था रजिस्ट्रीकरण के बिना कारबार नहीं कर सकेगी।

(4) उप-नियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इकाइयां ऐसी किसी भी इकाई से कारबार नहीं करेगी जो कि उप-नियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो।

IndiaCode

(5) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत संस्था ऐसा विवरण या रिपोर्ट या जानकारी जिसे इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए या प्रदान करना या प्रस्तुत करना आवश्यक है, के संबंध में गलत सूचना देती है या सूचना जानबूझकर छुपाती है या किसी भी अनियमितता के मामले में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ऐसी इकाई का रजिस्ट्रीकरण सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पांच वर्ष तक की अवधि के लिए रद्द किया जा सकता है और इसके अतिरिक्त, नियम 39 के अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क भी लगाया जा सकता है।

(6) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकरण की मांग करने वाली इकाइयों से रजिस्ट्रीकरण शुल्क और वार्षिक अनुरक्षण शुल्क ले सकता है, जो उनके द्वारा उत्पादित, पुनर्चक्रित या उनके द्वारा संभाले गए प्रयुक्त तेल की मात्रा के आधार पर हो सकता है।

27. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की पद्धतियां और इसके लक्ष्य. -

(1) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व में प्रयुक्त तेल के प्रबंधन के लिए प्राथमिकता के क्रम में निम्नलिखित तरीके आते हैं :

(i) पुन: शोधित बेस तेल या लुब्रिकेशन तेल का उत्पादन

(ii) ऊर्जा की पुनःप्राप्ति

(2) सभी उत्पादक और प्रयुक्त तेल आयतकर्ता को नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्वों पूरा करेंगे और ऐसा करते हुए वे एकीकृत प्रयुक्त तेल प्रबंधन प्रणालियों, संग्रह केंद्रों, डीलरों जैसे तीसरे पक्ष के संगठनों की सहायता ले सकते हैं:

परंतु विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व समग्र रूप से उत्पादक पर ही निहित होंगे।

सारणी

भाग-क

बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल के उत्पादकों के लिए लक्ष्य को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट किया गया है:-

क्र.सं.	**वर्ष**	**प्रयुक्त तेल पुनः चक्रीकरण लक्ष्य**
(1)	(2)	(3)
(i)	वर्ष 2024-2025 के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (वह वर्ष जिसमें यह अध्याय प्रवृत्त होती है)	वर्ष 2022-2023 में बेचे या आयात किए गए बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल का 5%
(ii)	वर्ष 2025-2026 के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व	वर्ष 2023-2024 में बेचे या आयात किए गए बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल का 10%
(iii)	वर्ष 2026-2027 का विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व	वर्ष 2024-2025 में बेचे या आयात किए गए बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल का 20%
(iv)	वर्ष 2027-2028 का विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व	वर्ष 2025-2026 में बेचे या आयात किए गए बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल का 20%
(v)	वर्ष 2028-2029 का विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व	वर्ष 2026-2027 में बेचे या आयात किए गए बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल का 40%
(vi)	वर्ष 2029-2030 का विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व	वर्ष 2027-2028 में बेचे या आयात किए गए बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल का 40%
(vii)	वर्ष 2030-2031 (वर्ष) के पश्चात् के संग्रह और पुनः चक्रीकरण लक्ष्य का विस्तारित उत्पादक	

	उत्तरदायित्व वर्ष (वर्ष-2) में बेचे या आयात किए गए बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल का 50% होगा।
(viii)	1 अप्रैल 2024 के पश्चात् स्थापित ईकाइयों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, वित्तीय वर्ष, जिसमें ईकाई स्थापित की गई थी, के अंत से दो वर्षों की समाप्ति पर शुरू होगा और उपर्युक्त निर्धारित लक्ष्य के अनुसार होगा।

भाग-ख

प्रयुक्त तेल आयातकों के लिए

(i) वर्ष (व) में प्रयुक्त तेल आयातकों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता वर्ष (व-1) में आयातित प्रयुक्त तेल का 100 प्रतिशत होगा।

(ii) केवल पुन: शोधन उद्देश्य के लिए प्रयुक्त तेल के आयात की अनुमति है ।

(3) उत्पादकों के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व में किसी ऐसे कारक के द्वारा कमी की जा सकेगी जो कि बेस ऑयल के प्रचालन परक घाटे के कारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया गया हो।

(4) (i) उत्पादक केवल रजिस्ट्रीकृत पुनः चक्रणकर्ता से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों की ऑनलाइन खरीद के माध्यम से अपनी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व पूरा करेंगे;

(ii) उत्पादकों और रजिस्ट्रीकृत पुनः चक्रणकर्ता द्वारा प्रदान किए गए विवरणों की पोर्टल पर पुनः जांच की जाएगी; और

(iii) अंतर होने के मामले में उत्पादक के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता की पूर्ति के लिए निम्नतर अंक पर विचार किया जायेगा।

(iv) प्रमाण पत्र केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसियों द्वारा पर्यावरण लेखापरीक्षा के अधीन होंगे।

28. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र का सृजन. -

(1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रजिस्ट्रीकृत पुनश्चक्रणकर्ता के पक्ष में पोर्टल के माध्यम से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र सृजित करेगा, जिसकी संगणना नीचे दी गई सारणी के अनुसार की जाएगी-

सारणी

क्र.सं.	पुन: चक्रण का अंतिम उत्पाद	अंतिम उत्पाद को आवंटित अधिमान **(Wp)**
1.	पुन: शोधित बेस ऑयल या लुब्रिकेशन तेल का उत्पादन करना	1.0
2.	पुन:चक्रण के लिए अनुपयुक्त प्रयुक्त तेल के लिए सह-प्रसंस्करण/उपयोग/ऊर्जा पुनर्प्राप्ति, अधिकतम अनुमेय प्रतिशत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा।	0.25

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सारणी के प्रयोजन के लिए,-

(i) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र के सृजन के लिए पात्र मात्रा की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी अर्थात्:

$$Q_{EPR} = Q_p \times C_F \times W_p;$$

IndiaCode

Q_{EPR} विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र के सृजन के लिए पात्र मात्रा है, Q_p अंतिम उत्पाद की मात्रा है और C_F रूपांतरण कारक (एक यूनिट आउटपुट के उत्पादन के लिए आवश्यक इनपुट की मात्रा) है और W_P विशेष अंतिम उत्पाद के लिए अधिमान है

उदाहरण: यदि एक पुन:चक्रणकर्ता अंततः 100 टन पुनः शोधित (रि-रिफाइंड) तेल का उत्पादन करता है, और रूपांतरण कारक 1.5 है, तो उस वर्ष में उस पुन:चक्रणकर्ता के लिए पात्र ईपीआर (EPR) प्रमाणपत्र निम्नानुसार होगा:

$$Q_{EPR} = 100 \times 1.5 \times 1 \text{ (अधिमान)} = 150.0 \text{ टन}$$

(ii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पुन:चक्रणकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकियों और उत्पादित पुन: शोधित बेस ऑयल की गुणवत्ता के आधार पर प्रत्येक अंतिम उत्पाद रूपांतरण कारक C_F निर्धारित किया जाएगा;

(iii) तकनीकी प्रगति, सामग्री की उपलब्धता का और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिमान W_P की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी;

(3) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र की वैधता उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष होगी जिसमें वह सृजित हुआ था और समाप्ति प्रमाण पत्र स्वतः समाप्त हो जाएगा अन्यथा इन नियमों के अनुसार इसकी अवधि पहले समाप्त न हो जाए।

(4) प्रत्येक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र का अपना एक अद्वितीय क्रमांक होगा जिसमें सृजन का वर्ष, अंतिम उत्पाद का कोड, पुनर्चक्रणकर्ता का कोड और अद्वितीय कोड दिया हुआ होगा और यह 100, 200, 500, 1000 और 10,000 किलोग्राम के डिनोमिनेशन में होगा या उस डिनोमिनेशन में होगा जो कि नियम 42 के अधीन गठित संचालन समिति के अनुमोदन से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया हो।

29. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्रों का संव्यवहार -

(1) एक उत्पादक अपनी वर्तमान वर्ष (वर्ष व) की विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व देयता के साथ-साथ पिछले वर्ष की शेष देयता तथा वर्तमान वर्ष की देयता के 10 प्रतिशत की सीमा तक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र खरीद सकता है।

(2) उत्पादकों और प्रयुक्त तेल आयातकों द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता को तिमाही आधार पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों को उचित अनुपात में खरीद कर पूरा किया जाना होगा।

(3) जैसे ही उत्पादक और प्रयुक्त तेल के आयातक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र खरीदता है, यह स्वत: ही उसकी देयता के विरूद्ध समायोजित हो जाएगा, पूर्व देयता को प्राथमिकता दी जाएगी और इस प्रकार समायोजित किया गया विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र स्वयं समाप्त और रद्द हो जाएगा।

(4) प्रत्येक उत्पादक या प्रयुक्त तेल के आयातक या पुनर्चक्रणकर्ता के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र की उपलब्धता, अपेक्षा और अन्य ब्यौरे पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

(5) उत्पादकों या प्रयुक्त तेल के आयातकों या पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा इस अनुसूची के अधीन सभी लेने-देन का रिकार्ड रखा जाएगा और इसे पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संबद्ध की गई अभिकरण के माध्यम से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों की बिक्री या खरीद के लिए एक या एक से अधिक मंच को स्थापित किया जा सकेगा।

30. रजिस्ट्रीकरण, वार्षिक विवरणी फ़ाइल करने, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र और सामग्री का पता लगाने के लिए पोर्टल-

(1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रजिस्ट्रीकरण के साथ-साथ तिमाही और वार्षिक रिटर्न को फ़ाइल करने, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र और किसी निकाय या व्यक्ति द्वारा उत्पादित या उत्पन्न तेल का पता लगाने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली स्थापित करेगा जो एक ऐसे तंत्र को सुनिश्चित करेगी जिसमें किसी वित्तीय वर्ष में किसी उत्पादक द्वारा बाजार में लाए गए ल्युब्रिकेशन ऑयल का वास्तविक संतुलन परिलक्षित होता हो;

(2) यह पोर्टल प्रयुक्त तेल से संबंधित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के प्रबंधन और कार्यान्वयन से संबंधित एकल बिंदु डेटा भंडार के रूप में कार्य करेगा।

(3) यह ऑनलाइन पोर्टल परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2023 के लागू होने की तारीख से छह माह के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा चालू कर दिया जाएगा और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व से संबंधित सभी क्रियाकलाप ऑनलाइन रीति से ही किए जाएंगे।

(4) इन अनुसूची के अधीन प्रयुक्त तेल के परिवहन के लिए मालसूची प्रणाली, उन इकाइयों के लिए लागू होगी जिनके लिए उक्त नियमावली के अधीन अधिप्रमाणन किया जाना अपेक्षित है।

31. उत्पादकों का उत्तरदायित्व. - बेस ऑयल या ल्युब्रिकेशन ऑयल के उत्पादक निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होंगे -

(क) पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण।

(ख) नियम 27 के उप-नियम(2) के अनुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लक्ष्यों को पूरा करना।

(ग) अपनी वेबसाइट या विज्ञापनों या प्रलेखन के माध्यम से उपभोक्ता (ओं) को संपर्क विवरण जैसे पता, ई-मेल पता, टोल-फ्री टेलीफोन नंबर या हेल्पलाइन नंबर प्रदान करना जिससे प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके।

(घ) किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक रिटर्न उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 30 जून को या उससे पहले पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में फ़ाइल करना।

(ङ) मीडिया, प्रकाशनों, विज्ञापनों, पोस्टरों या संचार के किसी अन्य माध्यम से जागरूकता सृजित करना।

32. प्रयुक्त तेल के आयातक का उत्तरदायित्व – प्रयुक्त तेल के आयातक निम्नलिखत के लिए उत्तरदायी होंगे-

(क) पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण।

(ख) पोर्टल के माध्यम से नियम 27 के उप-नियम (2) के अनुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लक्ष्यों को पूरा करना।

(ग) किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक रिटर्न उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 30 जून को या उससे पहले पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में फ़ाइल करना।

33. संग्रह अभिकर्ता का उत्तरदायित्व. - सभी संग्रह अभिकर्ताओं को -

(क) पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण करना है।

(ख) इन नियमों के अनुसार उत्पादकों से प्रयुक्त तेल का संग्रह करके रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ता या उत्पादक को आपूर्ति करना एवं पोर्टल पर जानकारी अपलोड करनी है।

(ग) किसी तिमाही से संबंधित रिटर्न को उसके पश्चात् के महीने के अंत में या उससे पहले पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में फ़ाइल करना है।

(घ) किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक रिटर्न उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 30 जून को या उससे पहले पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में फ़ाइल करना है।

34. पुनचर्क्रणकर्ता के उत्तरदायित्व – प्रयुक्त तेल के सभी पुनचर्क्रणकर्ताओं को -

(क) पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण करना है;

(ख) यह सुनिश्चित करना है कि सुविधाएं तथा पुनः चक्रीकरण प्रकियाएं इन नियमों के अनुसार हैं;

(ग) यह सुनिश्चित करना है कि प्रयुक्त तेल के भंडारण, परिवहन और पुनः चक्रीकरण के दौरान पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे;

(घ) यह सुनिश्चित करना है कि पुनः चक्रीकरण की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न अवशिष्ट का उक्त नियमावली के अनुसार ही निपटान किया जाता है;

(ङ) किसी तिमाही से संबंधित रिटर्न को उसके पश्चात् के महीने के अंत में या उससे पहले पोर्टल पर विहित प्रारूप में फ़ाइल करना है।

(च) किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित वार्षिक रिटर्न उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 30 जून को या उससे पहले पोर्टल पर विहित प्रपत्र में दर्ज करना है।

35. थोक उत्पादक के उत्तरदायित्व. - थोक उत्पादक-

(क) संग्रह अभिकर्ता की सुविधा के लिए अपने परिसरों से प्रयुक्त तेल के संग्रहण और परिवहन हेतु संग्रह स्थल स्थापित करेंगे; और

(ख) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा उत्पन्न प्रयुक्त तेल को केवल पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं या उत्पादकों या संग्रह अभिकर्ता को ही सौंपा जाए;

36. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उत्तरदायित्व. -(1) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होंगे:-

(क) पोर्टल का संचालन और रखरखाव तथा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के अनुपालन की निगरानी;

(ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ समन्वय;

(ग) समय-समय पर इस अध्याय के अधीन पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र के सृजन, दायित्व के निर्वहन, रिटर्न हेतु तथा प्रयुक्त तेल के संग्रह, भंडारण, परिवहन, पुनः चक्रीकरण और इन नियमों के सुगम कार्यान्वयन के लिए अन्य मुद्दों के संबंध में भी दिशानिर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार करना और जारी करना ;

(घ) इस अध्याय के कार्यान्वयन के लिए पोर्टल पर आवश्यक प्रारूप या रिटर्न या दिशानिर्देश तैयार करना और जारी करना;

(ङ) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के अनुपालन का पता लगाने के लिए यादृच्छिक जांच करना और इस प्रयोजन लिए बोर्ड सीमा शुल्क या राज्य सरकार या किसी अन्य अभिकरण (अभिकरणों) की मदद ले सकता है;

(च) प्रयुक्त तेल संबंधी डेटा का प्रलेखन, संकलन और इस पोर्टल पर अपलोड करना;

(छ) इस अध्याय के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई करना;

(ज) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के शहरी स्थानीय निकाय अधिकारियों सहित क्षमता निर्माण के विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;

(झ) जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना;

(ञ) सभी हितधारकों को केंद्रीकृत डिजिटल प्रणाली से जोड़ना;

(ट) वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और उसे केंद्रीय सरकार को सौंपना; और

(ठ) अन्य कोई कार्य जो कि समय-समय पर केंद्रीय सरकार के द्वारा इस अध्याय के अधीन सौंपा जाए।

IndiaCode

37. राज्य सरकारों या संघ राज्य-क्षेत्रों या नगर पालिकाओं या स्थानीय निकायों या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उत्तरदायित्व - **(1)** राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र के उद्योग विभाग या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य-क्षेत्र द्वारा इस संबंध में यथास्थिति अधिकृत कोई अन्य सरकारी अभिकरण, जैसा भी मामला हो -

(क) पुनः शोधन और पुनः चक्रीकरण में सम्मिलित श्रमिकों की पहचान और रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करेंगे;

(ख) प्रयुक्त तेल के पुनः चक्रीकरण में सम्मिलित श्रमिकों के लिए औद्योगिक कौशल विकास क्रियाकलापों का संचालन करेंगे;

(ग) प्रयुक्त तेल के पुनः चक्रीकरण में सम्मिलित श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक निगरानी करेंगे

(2) नगरपालिकाएं और स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में प्रयुक्त तेल के संग्रह के लिए बड़ी संख्या में संग्रह स्थल स्थापित करने के लिए उत्पादकों और थोक उत्पादक या संग्रह अभिकर्ता को सहायता प्रदान करेंगे। इस प्रकार संग्रहीत किए गए प्रयुक्त तेल को अधिकृत पुनर्चक्रकों को नीलाम किया जा सकता है या बेचा जा सकता है।

(3) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य-क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समितियां, -

(i) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समन्वय से इस अध्याय का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगी;

(ii) संग्रह अभिकर्ता द्वारा संग्रह केंद्र स्थापित करने में सुविधा प्रदान करेंगी;

(iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देशित किए अनुसार, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की निगरानी और अनुपालन करेंगी;

(iv) उत्पादकों या संग्रहकर्ता अभिकरणों या पुनर्चक्रणकर्ताओं का औचक निरीक्षण करेंगी;

(v) इस अध्याय के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य कार्य का निष्पादन करेंगी।

38. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के उत्तरदायित्व - भारतीय मानक ब्यूरो परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) द्वितीय संशोधन नियम, 2023 के आरंभ की तारीख से 9 महीने के भीतर ल्यूब्रिकेशन तेल के उत्पादकों के लिए बेस ऑयल के रूप में इस्तेमाल किए जा सकने वाले पुनः शोधित तेल हेतु आवश्यक मानक जारी करेगा।

39. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति. - (1)यदि इस अध्याय में निर्धारित दायित्वों को पूरा नहीं किया जाता है या मिथ्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र का संव्यवहार या उपयोग किया जाता है तो उत्पादकों पर या इस अध्याय के किन्हीं उपबंधों या इसके अधीन जारी किए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर किसी इकाई पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने और उसकी वसूली करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिशा-निर्देश तैयार करेगा।

(2) मिथ्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र जारी करने और मिथ्या जानकारी देने के लिए पुनर्चक्रणकर्ताओं से भी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी वसूली जाएगी।

(3) यह किसी अरजिस्ट्रीकृत उत्पादकों, पुनर्चक्रणकर्ताओं और किसी भी ऐसी संस्था से वसूली जाएगी जो इस अध्याय के उल्लंघन में सहायता करते हैं इसके लिए प्रेरित करते हैं।

(4) (i) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान इस अध्याय में विनिर्दिष्ट विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व से उत्पादक को मुक्त नहीं करेगा और किसी विशिष्ट वर्ष के लिए अपूर्ण विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को अगले वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा और इसी प्रकार इसे तीन वर्ष तक आगे बढ़ाया जाएगा;

(ii) यदि एक वर्ष के पश्चात् विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता की कमी को पूरा किया जाता है, तो वसूली गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का पचासी प्रतिशत उत्पादक को वापस कर दिया जाएगा;

(iii) यदि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता की कमी को दो वर्षों के पश्चात् पूरा किया जाता है,

तो वसूली गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का साठ प्रतिशत उत्पादक को वापस कर दिया जाएगा, यदि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व बाध्यता की कमी को तीन वर्षों के पश्चात् पूरा किया जाता है, तो वसूली गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का तीस प्रतिशत उत्पादक को वापस कर दिया जाएगा, इसके पश्चात् उत्पादक को कोई भी पर्यावरण क्षतिपूर्ति वापस नहीं की जाएगी।

(5) ऐसी मिथ्या सूचना, जिसके परिणामस्वरूप पुनर्चक्रणकर्ता द्वारा वास्तविक रूप से पुनर्चक्रित अपशिष्ट की मात्रा से पाँच प्रतिशत से अधिक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्रों का सृजन होता है, देने के फलस्वरूप रजिस्ट्रीकरण रद्द हो जाएगा और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी, जो वापसी योग्य नहीं होगी और इस अपराध को दोहराने पर इस अनुसूची का तीन बार या उससे अधिक उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभारों को लगाने के अलावा रजिस्ट्रीकरण भी स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।

(6) (i) पर्यावरण क्षतिपूर्ति के अधीन एकत्र की गई निधि को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक अलग तीसरे व्यक्ति के खाते में रखा जाएगा। एकत्र की गई निधि का उपयोग पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूले गए गैर-एकत्रित प्रयुक्त तेल के संग्रहण और पुनः चक्रीकरण अथवा अंतिम निपटान और गैर-पुनर्चक्रित अथवा अनंतिम निपटान नहीं किए गए प्रयुक्त तेल के अंतिम निपटान हेतु तथा समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य शीर्षों पर किया जाएगा।

(ii) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ संचालन समिति द्वारा निधि के उपयोग और शीर्षों के संबंध में विनिश्चय किया जाएगा।

40. अभियोजन. –कोई भी व्यक्ति, जो विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस अध्याय के अधीन अपेक्षित मिथ्या जानकारी प्रदान करता है, किसी भी तरीके से झूठे या जाली विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों का उपयोग करता है या ऐसे उपयोग का कारण बनता है, जानबूझकर इस अध्याय के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है या सत्यापन और लेखा परीक्षा कार्यवाही में सहयोग करने में विफल रहता है, उस पर इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन अभियोजित किया जाएगा। यह अभियोजन इस अध्याय के नियम 39 के अधीन वसूली गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त होगा।

41. सत्यापन एवं लेखा परीक्षा – (1)केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वयं अथवा किसी नामोद्दिष्ट अभिकरण के माध्यम से निरीक्षण तथा आवधिक लेखा परीक्षा, जैसाकि उचित समझा गया है, के माध्यम से उत्पादकों, प्रयुक्त तेल के आयातकों, थोक उत्पादकों, एकत्रण अभिकरणों और पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा इस अध्याय के अनुपालन का सत्यापन करेगा जिससे इस अध्याय के नियम 39 के उपबंधों के उल्लंघनों के विरूद्ध कार्रवाई की जा सके।

(2) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सत्यापन और लेखापरीक्षा के शुल्क संबंधित रजिस्ट्रीकृत इकाई पर प्रभारित किए जाएंगे।

42. संचालन समिति. – (1) इस अध्याय के अधीन विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के कार्यान्वयन का अधीक्षण करने के लिए अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में एक संचालन समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, यथा:-

(i) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;

(ii) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का एक प्रतिनिधि;

(iii) उत्पादकों के अधिकतम दो प्रतिनिधि;

(iv) ऑटो मोबाइल विनिर्माण संघों के अधिकतम दो प्रतिनिधि.

IndiaCode

(v) पुनर्चक्रणकर्ता संघों के अधिकतम दो प्रतिनिधि;

(vi) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति का एक प्रतिनिधि जैसाकि संचालन समिति के अध्यक्ष द्वारा सहयोजित किया जाए;

(vii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का सदस्य सचिव; और

(viii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंधित प्रभाग का अध्यक्ष – सदस्य संयोजक

(2) संचालन समिति आवश्यकता के अनुसार किसी अन्य सदस्य को सहयोजित कर सकती है।

(3) संचालन समिति इस अध्याय के समग्र कार्यान्वयन, निगरानी और अधीक्षण के लिए उत्तरदायी होगी।

(4) यह इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर समय-समय पर उठने वाले विवादों के संबंध में विनिश्चय भी करेगी उठाए गए किसी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संदर्भित करेगी जो इस अध्याय से संबंधित हों।

(5) यह संचालन समिति तकनीकी प्रगति और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए पुनर्चक्रण के रीतियों के लक्ष्य, अधिभार और अनुमेयता की समीक्षा और संशोधन करेगी और केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफ़ारिशें देगी।

(6) संचालन समिति इस अध्याय के उपबंधों के उचित कार्यान्वयन के लिए उसके द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले सभी उपाय करेगी।

43. इस नियम के अन्य उपबंधों का अनुप्रयोग.- नियमों के अधीन निर्धारित किए गए अनुसार परिसंकटमय और अपशिष्ट से संबधित प्रावधान इस अध्याय के अधीन आने वाले प्रयुक्त तेल के उपयोग और प्रबंधन पर भी लागू होंगे।'

[फा. सं. 23/75/2021-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 395(अ) तारीख 04 अप्रैल, 2016 को प्रकाशित किया गया था और इसके पश्चात् सा.का.नि. संख्या 670(अ) तारीख 06 जुलाई, 2016; सा.का.नि. संख्या 177(अ) तारीख 28 फरवरी, 2017; सा.का.नि. संख्या 544(अ) तारीख 11 जून, 2018; सा.का.नि. संख्या 178(अ) तारीख 01 मार्च, 2019; सा.का.नि. संख्या 641(अ) तारीख 09 अक्तूबर, 2020; सा.का.नि. संख्या 47(अ) तारीख 27 जनवरी, 2021; सा.का.नि. संख्या 798(अ) तारीख 12 नवम्बर, 2021; सा.का.नि. संख्या 593(अ) तारीख 21 जुलाई, 2022, सा.का.नि. संख्या 900(अ) तारीख 23 दिसम्बर, 2022 और सा.का.नि. संख्या 500(अ) तारीख 12 जुलाई, 2023 के द्वारा संशोधित किया गया था।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2023

G.S.R. 677(E).—Whereas the draft notification containing the draft extended producer responsibility for Used Oil were published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, *vide* notification number G.S.R. 338(E), dated the 2nd May, 2023 in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 2nd day of May, 2023;

AND WHEREAS, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft notification within the said period have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, namely: -

1. (1) These rules may be called the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Second Amendment Rules, 2023.

 (2) They shall come into force from the 1st day of April, 2024.

2. In the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), after Chapter VI, the following Chapter shall be inserted, namely: -

'Chapter VII

Extended Producer Responsibility for Used Oil

25. Définitions. – For the purposes of this Chapter, -

(a) **"base oil"** means any oil used for production of finished lubrication oil;

(b) **''bulk generator"** includes any entity like automobile industry or railways or defence establishments or a transport company or industrial units or power transmission company or hotels or restaurants and other such entity which is generating more than 100 metric tonnes of used oil per annum;

(c) **"business"** means any activity of production or manufacturing or sale of base oil or lubrication oil, import of base oil, recycling used oil;

(d) **"collection point"** means the facility where the authorised collection agent would collect and store used oil as per the standard operating procedure or guidelines issued by the Central Pollution Control Board for the purposes of this Chapter;

(e) **"collection agent"** means any person or entity who collects used oil and supplies it to the recycler;

(f) **"energy recovery"** means any process of utilizing used oil as a fuel, which is not suitable for recycling in accordance with these rules;

(g) **"environmentally sound management of used oil"** means taking all steps required to ensure that used oil is managed in a manner so as to protect health and environment against any adverse effects which may result during collection, transportation and recycling of used oil;

(h) **"extended producer responsibility"** means responsibility of producer of base oil or lubrication oil or importer of used oil under this chapter for meeting recycling targets only through registered recyclers to ensure environmentally sound management of used oil;

(i) **"guidelines"** means any document prepared and issued by the Central Pollution Control Board elaborating minimum requirements for achieving environmentally sound management of used oil including its handling, collection, transportation, storage and recycling;

(j) **"portal"** means the online system developed by the Central Pollution Control Board for management and implementation of compliance of this Chapter;

(k) **"producer"** means any person or entity, irrespective of the selling technique used such as dealer, retailer, e-

retailer, who, -

(i) manufactures and offers to sell base oil or lubrication oil domestically under its own brand; or

(ii) offers to sell lubrication oil domestically under its own brand, using the base oil manufactured by other manufacturers or suppliers; or

(iii) offers to sell imported base oil or lubrication oil domestically;

(l) **"recycling"** means any process of re-refining of used oil to produce base oil or lubrication oil or any process of energy recovery from used oil in an environmentally sound manner with facilities as elaborated in the standard operating procedure or guidelines issued by the Central Pollution Control Board for the purposes of this Chapter;

(m) **"re-refining"** means any process of removing undesirable impurities from used oil and making base oil or lubrication oil as end product in accordance with the standard operating procedure or guidelines issued by the Central Pollution Control Board;

(n) **"recycler"** means any person or entity engaged in the process of recycling of used oil;

(o) **"recycling target"** means the quantity of used oil to be recycled as per the provisions of rule (2) of rule 27;

(p) **"standard operating procedure"** means the document issued by the Central Pollution Control Board elaborating minimum requirement of equipment and processes;

(q) **"used oil''** shall have the meaning assigned to it in clause (36) of rule 3 the said rules; and

(r) **"used oil importers"** means any person or entity who imports used oil.

26. Registration. - (1) The following entities shall get them registered by the Central Pollution Control Board on the portal, namely:-

(a) producers;

(b) collection agents ;

(c) recyclers;

(d) used oil importers.

(2) In case any entity falls in more than one categories under sub- rule (1), then the said entity shall register themselves under each of those categories separately.

(3) No entity referred in sub-rule (1) shall carry out business without registration.

(4) The entities registered under sub-rule (1) shall not deal with any entity not registered under sub- rule (1).

(5) Where any registered entity furnishes false information or willfully conceals information for registration or return or report or information required to be provided or furnished under this Chapter or in case of any irregularity, the registration of such entity may be revoked by the Central Pollution Control Board for a period up to five-years after giving an opportunity to be heard and in addition, environmental compensation charges may also be levied as per rule 39.

(6) The Central Pollution Control Board may charge registration fees and annual maintenance charges from the entities seeking registration under this Chapter based on volume of used oil generated, recycled, or handled by them.

27. Modalities of extended producer responsibility and its target. – (1) The extended producer responsibility covers the following modes for managing the used oil in order of priority, namely: -

(i) producing re-refined base oil or lubrication oil; and

(ii) energy recovery.

(2) All producers and used oil importers shall fulfil their extended producer responsibility obligation specified in Table given below and in doing so they may take help of third party organisations, such as integrated used oil management systems, collection centres or dealers:

Provided that the extended producer responsibility shall lie entirely on the producer only.

IndiaCode

TABLE

PART - A

For producers of base oil or lubrication oil, the target prescribed in the following Table, -

Sl. No.	Year.	Used oil Recycling Target.
(1)	(2)	(3)
(i)	Extended Producer Responsibility obligation of the Year 2024-2025 (the year in which this Chapter comes into force)	5% of the base oil or lubrication oil sold or imported in the Year 2022-2023.
(ii)	Extended Producer Responsibility obligation of the Year 2025-2026.	10% of the base oil or lubrication oil sold or imported in the year 2023-2024.
(iii)	Extended Producer Responsibility obligation of the Year 2026-2027.	20% of the base oil or lubrication oil sold or imported in the year 2024-2025.
(iv)	Extended Producer Responsibility obligation of the Year 2027-2028.	20% of the base oil or lubrication oil sold or imported in the year 2025-2026.
(v)	Extended Producer Responsibility obligation of the Year 2028-2029.	40% of the base oil or lubrication oil sold or imported in the year 2026-2027.
(vi)	Extended Producer Responsibility obligation of the Year 2029-2030.	40% of the base oil or lubrication oil sold or imported in the year 2027-2028.
(vii)	Extended Producer Responsibility obligation for the year 2030-2031 (Y) onwards shall be 50% of the base oil or lubrication oil sold or imported in the year (Y-2)	
(viii)	For units established after 1st April, 2024, the extended producer responsibility obligation will start after two years from the end of the financial year in which the unit was established and will be as per the target prescribed above.	

PART - B
For used oil importers,-

(i) the extended producer responsibility obligation for used oil importers in year (Y) shall be 100 per cent of the used oil imported in year (Y-1); and

(ii) the import of used oil is permitted for the purpose of re-refining only.

(3) The extended producer responsibility target of the producers shall be reduced by a factor laid down by the Central Pollution Control Board on account of operational loss of base oil.

(4) (i) The producers may fulfil their extended producer responsibility through online purchase of extended producer responsibility certificates from registered recyclers only;

(ii) the details provided by producers and registered recyclers shall be cross-checked through the portal;

(iii) in case of any difference, the lower figure shall be considered towards fulfillment of the extended producer responsibility obligation of the producer; and

(iv) the certificates shall be subject to audit by the Central Pollution Control Board or any other agencies authorised by them in this regard.

28. Extended producer responsibility certificate generation. – (1) The Central Pollution Control Board shall generate extended producer responsibility certificate through the portal in favour of a registered recycler, which shall be calculated as per the Table given here under –

TABLE

S. No.	End Product of recycling.	Weightage allocated to the end product **(W_P).**
(1)	(2)	(3)
1.	Producing re-refined base oil or lubrication oil	1.0
2.	Co-processing/ utilisation/ energy recovery for used oil not suitable for recycling, maximum permissible percentage to be prescribed by the Central Pollution Control Board.	0.25

(2) For the purpose of the Table referred to in sub-rule (1),-

(i) the quantity eligible for generation of extended producer responsibility certificate shall be calculated as per the following formula, namely: -

$$\mathbf{Q_{EPR} = Q_P \times C_F \times W_P ;}$$

**the Q_{EPR} is the quantity eligible for generation of the extended producer responsibility certificate, Qp is the quantity of the end product and Cf is the conversion factor (quantity of inputs required for production of one unit of output) and Wp is the weightage for particular end product*

Example: If a recycler finally produces 100 Tonnes of re-refined oil, and conversion factor is 1.5 then, the eligible EPR certificate for that recycler in that year shall be as follows:

$$\mathbf{Q_{EPR}} = 100 \times 1.5 \times 1 \text{ (weightage)} = 150.0 \text{ Tonnes;}$$

(ii) Conversion factor C_F for each end product shall be determined by the Central Pollution Control Board based on the technologies used by recyclers and quality of re-refined base oil produced;

(iii) The weightage $\mathbf{W_P}$ shall be reviewed by the Central Pollution Control Board from time to time in view of the technological advancements, availability of material and other factors;

(3) The validity of the extended producer responsibility certificate shall be two years from the end of the financial year in which it was generated and the expired certificate shall automatically extinguish after the period unless extinguished earlier as per these rules.

(4) Each extended producer responsibility certificate shall have a unique number containing year of generation, code of end product, recycler code and a unique code and shall be in the denominations of 100, 200, 500, 1000 and 10,000 kilograms or as may be laid down by the Central Pollution Control Board with the approval of the Steering Committee constituted under rule 42.

29. **Transaction of extended producer responsibility certificate**. – (1) A producer may purchase extended producer responsibility certificates limited to its extended producer responsibility liability of current year (Year Y) plus any leftover liability of preceding years plus 10 per cent of the current year liability.

(2) The extended producer responsibility obligation shall have to be fulfilled by the producers and used oil importers by proportionately purchasing extended producer responsibility certificates on a quarterly basis.

(3) As soon as the producer and used oil importer purchases the extended producer responsibility certificate, it will be automatically adjusted against its liability, priority in adjustment shall be given to earlier liability and the extended producer responsibility certificate so adjusted shall be automatically extinguished and cancelled.

(4) The availability, requirement and other details of the extended producer responsibility certificate for every producer or used oil importer or recycler shall be made available on the portal.

(5) All the transactions under this Chapter shall be recorded and submitted by the producers or used oil importers or recyclers on the portal.

(6) One or more trading platform for sale and purchase of extended producer responsibility certificates may be established through agency accredited by the Central Pollution Control Board in accordance with the guidelines issued by Central Pollution Control Board with the approval of the Central Government.

30. Portal for registration, filing of annual returns, Extended Producer Responsibility certificate and tracing of materials. – (1) The Central Pollution Control Board shall establish an online system for the registration and as for filing of quarterly and annual returns, extended producer responsibility certificate and tracing of oil produced or generated by any entity or person, which shall ensure a mechanism wherein the material balance of the lubrication oil introduced in the market by any producer in a financial year is reflected.

(2) The portal shall act as the single point data repository with respect to management and implementation of extended producer responsibility for used oil.

(3) The online portal shall be functional by the Central Pollution Control Board within six months from the date of commencement of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Second Amendment Rules, 2023 and all activities related to the implementation of the extended producer responsibility shall be done in online manner.

(4) The manifest system for transport of used oil shall be applicable to those entities under this Chapter who are required to take authorisation under the said rules.

31. Responsibility of producers. - The producers of base oil or lubrication oil shall be responsible for, -

(a) registration on the portal;
(b) fulfilling extended producer responsibility targets as per sub- rule (2) of rule 27;
(c) provide the contact details such as address, email address, toll free telephone numbers or helpline numbers to consumers through their website or through advertisements or documentation so as to facilitate the process;
(d) filing annual returns in the form provided on the portal on or before 30th June following the financial year to which that return relates;
(e) creating awareness through media, publications, advertisements, posters, or by any other means of communication.

IndiaCode

32. Responsibility of used oil importer. - The used oil importers shall be responsible for, -

(a) registration on the portal;

(b) fulfilling extended producer responsibility targets as per sub- rule (2) of rule 27 through the portal;

(c) filing annual returns in the form provided on the portal on or before 30th June following the financial year to which that return relates.

33. Responsibility of collection agent. - All used oil collection agents shall have to, -

(a) register on the portal;

(b) collect used oil from the generators and supply to the registered recycler or producer in accordance with these rules and upload information on the portal;
(c) filing quarterly returns in the laid down form on the portal on or before the end of the month succeeding the quarter to which the returns relate;
(d) filing annual returns in the form provided on the portal on or before 30th June following the financial year to which that return relates.

34. Responsibilities of the recycler. - All used oil recycler shall have to, -

(a) register on the portal;

(b) ensure that the facility and recycling processes are in accordance with these rules;

(c) ensure that no damage is caused to the environment during storage, transportation and recycling of used oil;

(d) ensure that the residue generated during the recycling process is disposed of in accordance the said rules;

(e) filing quarterly returns in the prescribed form on the portal on or before the end of the month succeeding the quarter to which the returns relate;

(f) filing annual returns in the prescribed form provided on the portal on or before 30th June following the financial year to which that return relates.

35. Responsibilities of the bulk generators. - Bulk generators shall,-

(a) set up collection points to facilitate collection agents for collection and transportation of used oil from their premises; and

(b) ensure that used oil generated by them be handed over only to the registered recyclers or producer or collection agents.

36. Responsibilities of the Central Pollution Control Board. - (1) The Central Pollution Control Board shall be responsible for-

(a) operation and maintenance of the portal and monitoring of extended producer responsibility compliance;

(b) coordination with the State Pollution Control Boards;

(c) prepare and issue Guidelines and Standard Operating Procedures for registration on the portal, extended producer responsibility certificate generation, fulfillment of obligation, returns, and for collection, storage, transportation, recycling and disposal of used oil under this Chapter and also on any other issue for smooth implementation of these rules from time to time;

(d) prepare and issue necessary forms or returns on portal for implementation of this Chapter;

(e) conduct of random checks for ascertaining compliance of the extended producer responsibility and for that purpose the Board may take help of Customs or the State Government or any other agency;

(f) documentation, compilation of data on used oil and uploading on the portal;

(g) taking action against violation of this Chapter;

(h) conducting training programmes to develop capacity building including the State Pollution Control Board and Urban Local Bodies officials of State Governments;

(i) conducting awareness programmes;

(j) integration of all stakeholders with the centralised digital system;

(k) prepare and submit an annual report to the Central Government; and

(l) any other function delegated by the Central Government under this Chapter from time to time.

37. Responsibilities of the State Governments or Union territories or Municipalities or local bodies or the State Pollution Control Board. - (1)The Department of Industry in the State and Union territory or any other Government agency authorised in this regard by the State Government or the Union territory Administration, as the case may be, shall –

(a) ensure earmarking or allocation of industrial space or shed for collection of used oil and for re-refining units in the existing and upcoming industrial parks, estates and industrial clusters;

(b) ensure recognition and registration of workers involved in re-refining and recycling;

(c) undertake industrial skill development activities for the workers involved in re-cycling of used oil; and

(d) undertake annual monitoring and to ensure safety and health of workers involved in recycling of used oil.

(1) Municipalities and Local Bodies shall facilitate producers and bulk generators or collection agents to set up large number of collection points for collection of used oils in their jurisdictional areas and the used oils so collected can be auctioned or sold to the authorised recyclers.

(2) The State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees of Union territories, shall, -

(i) ensure proper implementation of this Chapter in coordination with the Central Pollution Control Board;

(ii) facilitate setting up of collection points by the collection agents;

(iii) monitor the compliance of extended producer responsibility as directed by the Central Pollution Control Board;

(iv) conduct random inspection of producers or collection agents or recycler or used oil importers; and

(v) perform any other function as directed by the Central Government under this Chapter.

38. Responsibilities of the Bureau of Indian Standards, - The Bureau of Indian Standards shall issue necessary standards for re-refined oil, which could be used as base oil for producers of lubrication oil within nine months from the date of commencement of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Second Amendment Rules, 2023.

39. Environmental Compensation. - (1) The Central Pollution Control Board shall lay down guidelines for imposition and collection of environmental compensation on the producers in case of non-fulfilment of obligations set out in this Chapter and transaction or use of false extended producer responsibility certificates or on any entity on violation of any provisions of this Chapter and guidelines issued hereunder.

(2) The environmental compensation shall also be levied on the recyclers for issue of false extended producer responsibility certificates and providing false information.

(3) It shall also be levied on unregistered producers, recyclers and any entity, which aids or abets the violation of this Chapter.

(4) (i) payment of environmental compensation shall not absolve the producer from the extended producer responsibility as specified in this Chapter and the unfulfilled extended producer responsibility for a particular year shall be carried forward to the next year and so on and up to three years;

(ii) in case, the shortfall of extended producer responsibility obligation is addressed after one year, eighty- five per cent. of the environmental compensation levied shall be returned to the producer; and

(iii) in case, the shortfall of extended producer responsibility obligation is addressed after two year, sixty per cent. of the environmental compensation levied shall be returned to the producer, and in case, the shortfall of extended producer responsibility obligation is addressed after three year, thirty per cent. of the environmental compensation levied shall be returned to the producer, thereafter no environmental compensation will be returned to the producer.

(5) False information resulting in over generation of extended producer responsibility certificates by recycler above five per cent. of the actual recycled waste shall result in revocation of registration and imposition of environmental compensation which shall not be returnable and subsequent offence, violation of this Chapter for three times or more shall also result in permanent revocation of registration over and above the environmental compensation charges.

(6) (i) the funds collected under environmental compensation shall be kept in a separate escrow account by the Central Pollution Control Board and the funds collected shall be utilised in collection and recycling or end of life disposal of uncollected and non-recycled or non-end of life disposal of used oil on which the environmental compensation is levied, and on other heads as decided by the committee; and

(ii) modalities and head for utilisation of the funds shall be decided by the Steering Committee with the approval of the Central Government.

40. Prosecution. - Any person, who provides incorrect information required under this Chapter for obtaining extended producer responsibility certificates, uses or causes to be used false or forged extended producer responsibility certificates in any manner, wilfully violates any provision of this Chapter or fails to cooperate in the verification and audit proceedings, shall be prosecuted under section 15 of the Act. This prosecution shall be in addition to the environmental compnesation levied under rule 39 of this Chapter.

41. Verification and audit. – (1) The Central Pollution Control Board by itself or through a designated agency shall verify compliance of this Chapter by the producers, used oil importer, bulk generators, collection agents and recyclers through inspection and periodic audit, as deemed appropriate and take actions against violations under rule 39 of this Chapter .

(2) Any fee for the verification and audit shall be charged by the Central Pollution Control Board from the concerned registered entity.

42. Steering Committee. - (1) There shall be a Steering Committee headed by the Chairperson, Central Pollution Control Board to oversee the implementation of extended producer responsibility under this Chapter, which shall consists of following other members, namely:-

(i) one representative of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change;
(ii) one representative of the Ministry of Petroleum and Natural Gas;
(iii) a maximum of two representative of producers;
(iv) a maximum of two representative of Automobile Manufacturer Associations.
(v) a maximum of two representative of recycler associations;
(vi) one representative of the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee as co-opted by the Chairman of the Steering Committee;
(vii) Member Secretary of the Central Pollution Control Board; and
(viii) Head of the Division concern of the Central Pollution Control Board as Member Convener.

(2) The Steering Committee may co-opt any other member if it considers necessary.

(3) The Steering Committee shall be responsible for overall monitoring and supervision of implementation this Chapter.

(4) Shall also decide upon the disputes arisen from time to time on the representations received in this regard, and shall refer to the Central Government any substantial issue arisen or pertaining to this Chapter.

(5) The Steering Committee shall review and revise the targets, weightage and permissibility of modes of recycling in view of the technological advancements and other factors and make recommendations to the Central Government.

(6) The Steering Committee shall take all such measures, as it deems necessary for proper implementation of the provisions of this Chapter.

IndiaCode

43. **Application of other provisions of these rules. -** The provisions relating to hazardous wastes under these rules shall also apply to utilisation and management of used oil under this Chapter.'.

[F. No. 23/75/2021-HSMD]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note :The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 395(E), dated the 4th April, 2016 and subsequently amended vide number G.S.R. 670(E), dated the 6th July, 2016; number G.S.R. 177(E), dated the 28th February, 2017; number G.S.R. 544(E), dated the 11th June, 2018; number G.S.R. 178(E), dated the 1st March, 2019; number G.S.R. 641(E), dated the 9th October, 2020; number G.S.R. 47(E), dated the 27th January, 2021; number G.S.R. 798(E), dated the 12th November, 2021; number G.S.R. 593(E), dated the 21st July, 2022; number G.S.R. 900(E) dated the 23rd December, 2022 and number G.S.R. 500(E) dated the 12th July, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.09.18 22:55:43 +05'30'